संख्या- 01/2026 /001-1734-2025-1891559-12-2099-33-2025

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2026**

विषयः- नेशनल क्रॉप इन्योरेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस-2502/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/25-26 दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-04- नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के मानक मद मानक मद 04-यात्रा व्यय में रू0 32.00 लाख, 08-कार्यालय व्यय में रू0 40.00 लाख, 11-लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई में रू0 40.00 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 40.00 लाख, 15-गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद में रू0 40.00 लाख,27-सब्सिडी मे 9388.01 लाख, 42-अन्य में रू0 32.63 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 8.00 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में रू0 40.00 लाख, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय में रू0 40.00 लाख **अर्थात कुल धनराशि 9692.64 लाख (रूपया छियानवे करोड़ बानबे लाख चौसठ हजार मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

शर्तें/प्रतिबन्ध

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
5. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययियता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या

6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

10. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

11. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा।

12. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

13. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्यय योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृति न हो।

14. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तार पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत:सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

15. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्यसरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

16. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायकि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

17. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001100400 (नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	04 यात्रा व्यय	32,00,000 (रुपये बत्तीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	08 कार्यालय व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
4	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	32,00,000 (रुपये बत्तीस लाख मात्र)
5	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
6	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	27 सब्सिडी	93,88,01,000 (रुपये तिरानबे करोड़ अट्ठासी लाख एक हजार मात्र)
7	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	42 अन्य व्यय	32,63,000 (रुपये बत्तीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)
8	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
9	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
10	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			**96,92,64,000** **(रुपये छियानबे करोड़ बानबे लाख चौंसठ हजार मात्र)**

महायोग	96,92,64,000 (रुपये छियानबे करोड़ बानबे लाख चौंसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-1-186-X-2025-26-दिनांक:2-1-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2026 /2025/001-1734-2025-1891559-12-2099-33-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 रंजना दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।